

न्यायालय भूमि सुधार उप-समाहर्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक— बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत
सन्दर्भित वाद संख्या — 100 / 2013-14
श्री पवन यादव बनाम श्री रामसुठ यादव

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख-सहित
	<p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना तथा दावे-प्रतिदावे का परिशीलन किया।</p> <p>प्रथम दृष्टया आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में माँगी गई अनुतोष इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर का होना दृष्टिगोचर होता है, चूँकि आवेदक ने अपने वाद पत्र में प्रश्नगत भूमि के निमित्त अपने Title के declaration का अनुरोध किया है जिसका निर्धारण सिर्फ व्यवहार न्यायालय के क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ही संभव है।</p> <p>अतः उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक द्वारा प्रस्तुत वाद में किए गए अनुरोध को अस्वीकृत करते हुए उन्हें निदेशित किया जाता है कि अपने दावे के उपचार के निमित्त सक्षम व्यवहार न्यायालय के समक्ष याचना करें।</p> <p>इसी आदेश के साथ प्रस्तुत कार्रवाई close की जाती है।</p> <p>“अभिलेख संचिकास्त करें।”</p> <p>लेखाधित एव शुद्धित 07/06/14 भू0 सु0 उप समाहर्ता सदर, दरभंगा</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता सदर, दरभंगा।</p>	